## कार्यालय टिप्पणी

(5)

श्रीमानजी,

वकील प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट में आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की अनवान परबुराम बनाम गोपालराम राजस्व वाद संख्या 144/13 निर्णय दिनांक 29.01.2016 में वाद में वर्णीत खेत पूर्व में राजस्व ग्राम भूण्डेल में थे। भूण्डेल के नंय राजस्व ग्राम सुखोलाव व अणदोलाव बने है। वादी के पैतृक सभी खेताय सुखोलाव में है मगर ख.न. 486 रकबा 80 बीघा 18 बिश्वा व ख.न. 550 रकबा 1 बीघा ग्राम अणलोदाव में आ गये है। एवं खसरा नम्बर 486 का वाद में बंटवाड़ा होकर ख.न. 659/486 रकबा 20 बीघा 10 बिश्वा वादी एवं प्रतिवादीगण के बंट में रहे । वादी अनपढ होने से वादी को अणदोलाव के ख.न. 659/486 का राजस्व वाद संख्या 144/13 में उल्लेख नहीं हुआ । जो महज एक मानवीय भूल है।

राजस्व वाद में ग्राम अणदोलाव में ख.न. 659 486 रकबा 20 बीघा 10 बिश्वा जोड़ने हेतु सशोंधन की अनुमति दी जाकर निर्णय एं डिक्री दिनांक 29.01.2016 में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करना अतिआवश्यक एवं न्यायसगंत है।

अतः प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व वाद सं. 144 13 में ग्राम अणदोलाव के ख.न. 659/486 रकबा 20 बीघा 10 बिश्वा जोड़ने हेतु सशोंधन करने हेतु अनुमति प्रदान करावे एवं उपरोक्त अनुसार निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2016 में सशोंधन किये जाने के आदेश फरमावें।

श्री अनवान परबुराम बनाम गोपालराम की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पशट होता है कि उक्त पत्रावली में ग्रम अणदोलाव के ख.न. 659/486 रकबा 20 बीघा 10 बिश्वा का वादी के वाद की प्लीडींग में कंही भी जीक्र नहीं है उक्त खसरे का अकंन वाद संख्या 144/13 वकील वादी ने स्वंय ने अकंन नहीं किया है तथा अब उक्त प्रकरण का निस्तारण होने के बाद उक्त खसरा को इसमें शामिल करवाना चाहाते है।

अलोकनार्थ एवं आदेशार्थ